

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	24.01.2019	20.12.2019

उनवान सरकार बनाम दीपचन्द पुत्र बुद्धराम जाति मेघवाल निवासी चुरीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

:- निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का ढाणी भालोठ ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम चुरीना की राजकीय भूमि गै0मु0 रास्ता ख0न0 298 कुल रकबा 0.42 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 40 वर्ग फीट पर अतिक्रमी दीपचन्द पुत्र बुद्धराम जाति मेघवाल निवासी चुरीना ने अवैध रूप से रपटा बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित रहा। अतिक्रमी के अतिक्रमी द्वारा नोटिस जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में रपटा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से रपटा बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 13.63/- का अतिक्रमण शुदा लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसेला हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

63
01/12/19 50/-

Suman

तहसीलदार बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)